भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. *55

जिसका उत्तर 22.07.2021 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित कार्य

*55. श्री चंद्र शेखर साहू:

श्री प्रतापराव जाधव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार एवं रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित, जारी की गई एवं उपयोग में लाई गई;

(ग) विभिन्न राज्यों को धनराशि के आबंटन हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनेक हिस्सों के कार्य, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तीसरे चरण के अंतर्गत चार लेन वाला बनाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है, की गति बहुत धीमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ड.) उक्त हिस्सों पर कार्य की धीमी गति के कारण लागत में राज्यवार कितनी वृद्धि हुई है; और

(च) सरकार द्वारा इस कार्य को समय पर पूरा करने हेतु उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (च): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

'राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित कार्य' के संबंध में श्री चंद्र शेखर साहू और श्री प्रतापराव जाधव द्वारा पूछे गए दिनांक 22.07.2021 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *55 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

.....

(क): यह मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों सहित विभिन्न एजेंसियों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियां आवंटित करता है।

(ख): पिछले प्रत्येक 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव व मरम्मत (एम एंड आर) के लिए आवंटित निधियां और उपयोग की गई/व्ययित व्यय का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) / एजेंसी-वार विवरण अनुबंध-। में है।

(ग): राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / एजेंसी-वार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का आवंटन प्रतिबद्ध देनदारियों, कार्यों की प्रगति, पारस्परिक प्राथमिकता, निधियों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) के लिए निधियों का आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नुकसान की प्रकृति और व्यापकता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की समग्र स्थिति, यातायात घनत्व, पारस्परिक-प्राथमिकता, राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात अनुकूल स्थिति में बनाए रखने के लिए शुरू किए जाने वाली अपेक्षित न्यूनतम कार्यों, दोष देयता अवधि (डीएलपी) दायित्व के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों अथवा निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) / प्रचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतों के अंतर्गत खंडों, राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे कार्यों, नए विकासात्मक कार्यों के लिए शुरू की जाने वाली कार्रवाई की स्थिति, निधियों की उपलब्धता आदि के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर तदनुसार कार्य शुरू किया जाता है ताकि उन्हें यातायात योग्य स्थिति में बनाया रखा जा सके।

(घ) से (च): भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) चरण-।।। के अंतर्गत सौंपे गए लगभग 11,500 किलोमीटर में से लगभग 9,000 किमी लंबाई की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा किया है। कार्यक्रम को पूरा करने के लिए स्वीकृत लक्ष्य दिसंबर, 2013 था। 4-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के मानकों के उन्नयन के लिए लगभग 2,411 किलोमीटर में जारी कार्य में लगभग 2% (प्रतिशत) से 98% की वास्तविक प्रगति प्राप्त कर ली है। जुलाई 2013 से मार्च, 2022 के बीच पूरा करने के आरंभिक लक्ष्य के साथ इन परियोजनाओं को जुलाई 2021 से जुलाई, 2023 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है; चल रही परियोजना का ब्यौरा अनुबंध-II पर है।

इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के लिए विभिन्न कारण हैं; भूमि अधिग्रहण / उपयोगिता सुविधाओं का स्थानांतरण, सांविधिक स्वीकृतियां, देश के कुछ हिस्सों में मिट्टी और गिट्टी की अनुपलब्धता, ठेकेदारों / रियायतग्राहियों का खराब कार्य निष्पादन, बीओटी मोड पर सौंपी गई कुछ

परियोजनाओं को समाप्त किया जाना, कोविड-19 महामारी का प्रभाव, डिजाइन की पुनरीक्षा की आवश्यकता, कार्यक्षेत्र परिवर्तन, अतिरिक्त सुविधाओं के लिए स्थानीय लोगों की अतिरिक्त मांगें आदि।

एनएचडीपी चरण-III के अंतर्गत अधिकतम परियोजनाएं बीओटी मॉडल पर हैं जहां मूल्य वृद्धि को रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाता है। इंजीनियरिंग, प्रापण और डिजाइन (ईपीसी) संविदाओं के मामले में मूल्य वृद्धि के भुगतान के लिए प्रावधान है जो संविदा प्रावधानों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के विभिन्न घटकों में वृद्धि तक सीमित है। ठेकेदारों के कारण परियोजना में विलंब होने के मामले में, परिनिर्धारित नुकसानी लगाई जाती है और ऐसे विलंब लिए किसी वृद्धि का भुरतान नहीं किया जाता है। परियोजना पूरी हो जाने और बिलों का अंतिम रूप से समायोजन हो जाने के पश्चात ही वास्तविक वृद्धि का पता चलता है।

मंत्रालय / एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण को संगत बनाने और नियामक मंजूरी, क्षेत्रीय अधिकारियों, रियायतग्राहियों/ठेकेदारों के साथ मंत्रालय / एनएचएआई द्वारा मुख्यालय में नियमित रूप से समीक्षा बैठक, अन्य मंत्रालयों के साथ सघन समन्वय, रेलवे लाइनों के ऊपरी/नीचे रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) व रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के लिए सामान्य आरेखण व्यवस्था का सरलीकरण व ऑनलाइन अनुमोदन, विवाद पुनरोद्धार तंत्र, अटकी हुई परियोजनाओं में एक बारगी निधि निवेशन, इक्विटी निवेशकों का निकलना, प्रीमियम पुनर्निर्धारण, ईपीसी और बीओटी (टोल) पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना के मामले में 90% भूमि की उपलब्धता और हाइब्रिड एन्यूटी मोड के लिए पीपीपी मोड पर 80% भूमि की उपलब्धता होने के पश्चात ही परियोजना को सौंपा जाना सुनिश्चित करना, प्राधिकरण के कारण होने वाले विलंब के लिए क्षतिपूर्ति को युक्तिसंगत बनाना, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ठेकेदारों/रियायतग्राहियों के नकद तरलता समस्या को सुकर बनाने/सरल बनाने सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण को प्रभावी करने वाले बाधाओं को हटाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं।

अनुबंध-।

'राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित कार्य' के संबंध में श्री चंद्र शेखर साहू और श्री प्रतापराव जाधव द्वारा पूछे गए दिनांक 22.07.2021 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *55 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

.....

पिछले प्रत्येक 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आवंटित निधियां और उपयोग की गई/व्ययित व्यय का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) / एजेंसी-वार विवरण: -

धनराशि करोड़ रुपये में

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/योजनाएं/ एजेंसी**	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22 (30.06.2021 तक)**	
		आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
1	आंध्र प्रदेश	2,260	2,054	1,809	2,011	1,846	1,922	1,425	490
2	अरुणाचल प्रदेश	90	89	81	81	142	150	54	31
3	असम	414	421	430	428	420	420	185	85
4	बिहार	1,598	1,554	1,899	1,553	2,082	2,170	1,158	555
5	छतीसगढ	1,831	1,342	709	697	683	791	303	168
6	गोवा	940	973	1,004	976	1,062	726	458	186
7	गुजरात	392	390	545	719	730	828	410	227
8	हरियाणा	330	375	105	108	160	143	90	22
9	हिमाचल प्रदेश	351	328	160	99	176	182	189	91
10	जम्मू और कश्मीर	45	44	50	26	70	52	39	17
11	झारखंड	320	320	163	182	330	301	185	96
12	कर्नाटक	1,630	1,561	1,361	1,293	1,210	1,224	614	189
13	केरल	280	301	294	327	470	525	225	100
14	मध्य प्रदेश	1,665	1,887	2,279	2,535	1,750	1,958	950	365
15	महाराष्ट्र	7,051	7,445	10,341	10,998	9,849	9,226	5,222	1,662
16	मणिपुर	260	260	397	392	147	145	65	36
17	मेघालय	71	58	35	20	17	19	8	0
18	मिजोरम	80	80	85	85	91	89	38	36
19	नगालैंड	200	200	445	414	355	308	176	38
20	उड़ीसा	790	774	451	462	601	676	336	191
21	पंजाब	786	808	883	1,020	820	675	475	144
22	राजस्थान	1,296	1,290	1,124	1,062	842	911	534	169
23	सिक्किम	1	0	0	0	5	4	28	0

									धनराशि करोड़ रुपये में
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/योजनाएं/ एजेंसी	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (30.06.2021 तक)	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
24	तमिलनाडु	870	884	530	423	716	618	365	182
25	तेलंगाना	1,220	1,213	1,515	1,494	1,000	1,015	545	188
26	त्रिपुरा	50	50	65	62	105	100	52	16
27	उत्तर प्रदेश	2,040	1,996	1,838	1,765	1,715	1,798	1,050	324
28	उत्तराखंड	1,000	1,011	964	1,044	960	1,039	539	155
29	पश्चिम बंगाल	991	980	806	792	713	751	360	113
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			0	0	1	0	1	0
31	चंडीगढ़	2	1	5	0	1	0	1	0
32	दादर और नगर हवेली	2		12	0	25	43	14	5
33	दमन और दीव			8	0				
34	दिल्ली	3	0	83	62	92	50	135	25
35	लद्दाख			0	0	20	17	11	0
36	पुदुचेरी	30	13	2	1	21	19	11	1
37	रारा (मूल) के तहत अन्य परियोजनाएं / पहले आओ पहले पाओ	-	-	1,513	#	-303*	#	-	-
38	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)- उपकर $	11,569	11,569	11,091	11,091	23,850	23,850	29,500	15,000
39	एनएचएआई- टोल $	9,570	9,570	10,600	10,600	11,500	11,500	12,650	6,325
40	एनएचएआई- रारा (मूल) $	0	0	1,000	1,000	2,833	2,833	1,000	1,000
41	एनएचएआई-टीओटी $	9,682	9,682	10,000	5,000	10,250	7,262	10,000	0
42	रारा (मूल)$ के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	1,000	1,000	2,165	2,165	6,568	6,568	1,000	1,000
43	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) $	135	135	356	354	502	500	403	57

									धनराशि करोड़ रुपये में
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/योजनाएं/ एजेंसी**	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22 (30.06.2021 तक)**	
		आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
44	अरुणाचल पैकेज सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई)$	5,610	5,345	3,680	3,592	4,540	4,513	4,790	2,383
45	विजयवाड़ा - रांची सड़क के विकास सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सड़क विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	905	552	475	409	425	378	332	66
46	बाह्य वित्तपोषित परियोजनाएं - मुख्यालय, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल $	222	219	1,242	1,242	1,905	1,905	1,600	1,600
47	आईईबीआर / एनएचएआई द्वारा ऋण	62,000	61,217	75,000	74,988	65,000	65,036	65,000	9,897

शुद्ध रूप से "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर व्यय करने की शर्त के आधार पर प्राधिकृत किया गया था बशर्ते कि कुल वित्तीय व्यय उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कुल आवंटन से अधिक नहीं हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन का कम से कम समर्पण हो। इसलिए, कुछ राज्यों के लिए व्यय उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए आवंटन से अधिक है।

*- ऋणात्मक आवंटन परिलक्षित होता है चूंकि एनएचडीपी-IV (राज्य पीडब्ल्यूडी) से एनएचएआई को निधियों का पुन: विनियोजन किया गया था। यद्यपि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार आवंटन कम नहीं किया गया था।

#- राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में शामिल व्यय

$- राज्य /संघ राज्य क्षेत्र वार आवंटन नहीं किया गया

पिछले प्रत्येक 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव व मरम्मत (एम एंड आर) के लिए आवंटित निधियां और उपयोग की गई/व्ययित व्यय का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) / एजेंसी-वार विवरण: -

धनराशि करोड़ रु. में

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी**	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22 (जून, 2021 तक)**	
		आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
1	आंध्र प्रदेश	87.98	20.61	89.60	65.37	147.44	113.91	117.92	10.71
2	अरुणाचल प्रदेश	34.10	15.97	28.72	25.27	78.76	111.39	45.27	2.30
3	असम	48.33	11.33	28.49	3.28	130.68	73.19	77.09	11.54
4	बिहार	38.86	20.91	50.31	15.24	115.92	64.86	91.12	8.50
5	छत्तीसगढ	28.59	10.79	25.02	16.79	44.13	16.72	28.27	0.00
6	गोवा	8.10	4.87	6.59	1.13	18.95	8.02	15.69	2.46
7	गुजरात	80.30	64.49	100.23	91.43	186.28	114.78	155.58	16.02
8	हरियाणा	0.80	0.26	0.50	0.02	3.00	0.00	0.50	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	55.45	43.01	37.90	28.34	83.40	73.98	67.02	8.88
10	झारखंड	44.31	32.25	26.83	26.07	39.71	23.13	39.00	3.72
11	कर्नाटक	66.21	46.52	60.88	30.87	148.30	132.44	143.44	25.35
12	केरल	81.95	29.93	77.19	64.27	127.06	178.97	92.93	18.18
13	मध्य प्रदेश	40.59	11.23	25.11	14.80	102.05	28.11	63.84	0.00
14	महाराष्ट्र	387.90	352.83	125.25	42.48	281.53	157.14	228.51	13.28
15	मणिपुर	34.94	21.67	7.10	2.38	26.11	22.89	12.07	0.00
16	मेघालय	121.29	67.35	70.36	39.15	61.66	45.64	45.07	7.42
17	मिजोरम	158.98	126.86	48.97	37.23	34.91	21.00	30.46	10.90
18	नागालैंड	63.33	50.65	42.42	32.73	62.14	46.24	50.59	4.24
19	उड़ीसा	43.24	25.90	55.31	49.95	63.16	104.68	79.82	14.00
20	पंजाब	33.20	10.62	10.74	5.43	34.72	27.81	27.85	0.82
21	राजस्थान	52.73	18.23	51.90	40.02	125.86	78.02	110.01	4.11
22	सिक्किम	16.00	17.30	11.94	10.36	5.88	6.85	4.87	0.00
23	तमिलनाडु	52.77	42.68	36.85	16.21	92.68	92.18	68.08	1.82
24	तेलंगाना	37.34	22.73	82.60	59.55	128.43	72.54	93.30	12.65
25	त्रिपुरा	47.94	47.35	25.71	14.54	16.68	12.13	8.03	0.00
26	उत्तर प्रदेश	73.07	40.12	116.22	73.54	139.57	90.81	105.63	4.85

									धनराशि करोड़ रु. में
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी**	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22 (जून, 2021 तक)**	
		आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
27	उत्तराखंड	38.06	15.04	27.97	14.42	46.21	32.79	31.62	3.18
28	पश्चिम बंगाल	32.27	28.54	41.66	38.03	51.50	34.89	37.86	1.34
29	चंडीगढ़	0.10	0.00	0.20	0.00	3.11	2.03	9.30	3.15
30	दादर और नगर हवेली ^	0.10	0.00	0.20	0.00	0.86	0.00	0.68	0.00
31	दमन और दीव ^	0.10	0.00	0.20	0.00				
32	दिल्ली	0.50	0.00	0.50	0.00	0.25	0.00	0.20	0.00
33	जम्मू और कश्मीर $	33.48	9.14	2.02	0.34	9.37	0.00	4.11	0.00
34	लद्दाख			0.00	0.00	5.13	3.39	3.64	0.00
35	पुदुचेरी	1.08	0.99	1.97	0.09	2.35	1.98	1.37	0.00
3 6	एनएचएआई	272.19	272.19	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00
37	एनएचआईडीसीएल	100.00	100.00	200.00	200.00	248.17	248.17	100.00	100.00
38	सीमा सड़क संगठन	115.00	114.81	142.00	134.23	220.00	219.78	170.00	170.00
39	पहले आओ पहले पाओं			-59.46*	#	-632.04*	**#**		

शुद्ध रूप से "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर व्यय करने की शर्त के आधार पर प्राधिकृत किया गया था बशर्ते कि कुल वित्तीय व्यय उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कुल आवंटन से अधिक नहीं हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन का कम से कम समर्पण हो। इसलिए, कुछ राज्यों के लिए व्यय उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए आवंटन से अधिक है।

$ - पुनर्गठन से पहले जम्मू और कश्मीर राज्य

^- विलय से पहले के केंद्र शासित प्रदेश

*- ऋणात्मक आवंटन परिलक्षित होता है चूंकि एनएचडीपी-IV (राज्य पीडब्ल्यूडी) से एनएचएआई को निधियों का पुन: विनियोजन किया गया था। यद्यपि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार आवंटन कम नहीं किया गया था।

#- राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में शामिल व्यय

अनुबंध-।।

'राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित कार्य' के संबंध में श्री चंद्र शेखर साहू और श्री प्रतापराव जाधव द्वारा पूछे गए दिनांक 22.07.2021 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *55 के भाग (घ) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

.....

एनएचडीपी चरण-।।। के अंतर्गत 4-लेन के उन्नयन करने के लिए एनएचएआई के अंतर्गत चल रही परियोजना का विवरण : -

क्र. सं.	राज्य	कुल लंबाई (किमी में)
1	बिहार	314
2	हिमाचल प्रदेश	23
3	झारखंड	164
4	केरल	38
5	मध्य प्रदेश	197
6	महाराष्ट्र	294
7	उड़ीसा	500
8	पंजाब	78
9	राजस्थान	49
10	तमिलनाडु	204
11	उत्तर प्रदेश	158
12	उत्तराखंड	93
13	पश्चिम बंगाल	300
	कुल	**2,411**

*****